न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 283 / 2022   **जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2022 / 277**

दायर दिनांक :— 20.09.2022   **निर्णय दिनांक :— 07.10.2024**

प्रार्थीगण   **बनाम**   **अप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण

1. सोहनराम पुत्र मेगाराम
2. मेगाराम पुत्र अमेदाराम

जाति जाट निवासी चिमाणा
तहसील घंटियाली जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राज्य सरकार जरिये
   तहसीलदार, घंटियाली
2. मगाराम पुत्र ईसराराम
3. बागाराम पुत्र ईसराराम
4. रामूराम पुत्र ईसराराम
5. किसनाराम पुत्र ईसराराम
6. आदूराम पुत्र ईसराराम
7. आसाराम पुत्र ईसराराम
8. नेनाराम पुत्र हिमताराम
9. खेमाराम पुत्र डूंगरराम
   जाति जाट निवासी चिमाणा
10. मोहनी पत्नि पाबूराम
11. रूखी पत्नि टीकूराम
12. भोमाराम पुत्र टीकूराम
13. चीमाराम पुत्र टीकूराम
14. सुरजाराम पुत्र टीकूराम
15. भंवरा पत्र टीकूराम
16. अमेदाराम पुत्र टीकूराम
17. कमला पत्नि किसनाराम
18. मांगीलाल पुत्र किसनाराम
19. मोहनराम पुत्र किसनाराम
20. ओमप्रकाश पुत्र किसनाराम
21. मूलाराम पुत्र [illegible]
22. गोगी पत्नि गंगाराम
23. पाबूराम पुत्र बागाराम

उप जिला मजिस्ट्रेट एवं उप खण्ड अधिकारी बाप जिला फलोदी (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:15:37 IST
Reason: SelfAttested

07.10.24
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

24. बीजाराम पुत्र बागाराम
25. बीरमाराम पुत्र सूराराम
26. दुर्गाराम पुत्र सूराराम

जाति मेघवाल नि. चिमाणा
तह. घंटियाली जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आश्य से पेश किया है किप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 244/3 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण सं. 2 ता 7 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 244/1 रकबा 4.1683 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण सं. 8 व 9 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 244/2 रकबा 12.1406 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण सं. 10 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 244/4 रकबा 4.8562 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण सं. 11 ता 16 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 244/5 रकबा 2. 3715 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण सं. 17 ता 20 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 244/6 रकबा 2.3715 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण सं. 21 व 22 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 244/7 रकबा 2.3715 हैक्टेयर, अप्रार्थी सं. 23 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 244/8 रकबा 2.3715 हैक्टेयर, अप्रार्थी सं. 24 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 244/9 रकबा 2.3715 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण सं. 25 व 26 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 244/10 रकबा 2.3715 हैक्टेयर व अप्रार्थीगण सं. 11 ता 26 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 244/11 रकबा 0.0486 हैक्टेयर एवं राज्य सरकार के नाम खसरा नम्बर 244 रकबा 8.5631 हैक्टेयर सरहद मौजा चिमाणा पटवार क्षेत्र चिमाणा तहसील घंटियाली जिला जोधपुर में स्थित है। वर्तमान जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस सलंग्न पेश है। प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों काश्त भूमि खसरा नम्बर 244/3 रकबा 8.0937 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा व काश्त प्रार्थीगण का है। प्रार्थीगण ने सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार अपने हिस्से की भूमि पर रहवासीय ढाणिया, पानी के टांके व पशुओं के लिए बाड़े इत्यादि बना रखे है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पेश किया जा रहा है जिसे प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग माना व समझा जावे। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में तो अलग—अलग दर्ज थी लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:15:37 IST
Reason: SelfAttested

07.10.24
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

नक्शा लट्ठा सामलाती ही थी। नक्शा लट्ठा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 26 की तरमीम नहीं हो रखी थी। प्रार्थीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 244/3 पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अपना–अपना कब्जा काश्त लगातार शांतिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। लेकिन वर्तमान में पटवारी हल्का ने सरासर गलत तरीके से एवं प्रार्थीगण को सूचित किये बगैर ही सेग्रीगेशन योजना के तहत प्रार्थीगण की तरमीम रकबा से कम करदी गई है। वर्तमान में नक्शा लट्ठा में प्रार्थीगण की की गई तरमीम का रेखीय क्षेत्रफल रकबा 30 बीघा ही है जो जमाबंदी के रकबा से कम है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 26 की तरमीम मौके पर कब्जा व काश्त से भिन्न एवं रकबा से कम तथा ज्यादा है। इसलिये प्रार्थीगण ग्राम चिमाणा पटवार क्षेत्र चिमाणा तहसील घंटियाली जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 244/3 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244/1 रकबा 4.1683 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244/2 रकबा 12.1406 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244/4 रकबा 4.8562 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244/5 रकबा 2.3715 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244/6 रकबा 2.3715 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244/7 रकबा 2.3715 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244/8 रकबा 2.3715 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244/9 रकबा 2.3715 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244/10 रकबा 2.3715 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 244/11 रकबा 0.0486 हैक्टेयर भूमि के नक्शा लट्ठा में खातेदारों के कब्जा काश्त के विपरीत एवं रकबा से कम व ज्यादा की गई तरमीम को निरस्त करवाने एवं प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने के अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार घंटियाली ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 26 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम चिमाणा पटवार हल्का चिमाणा तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 244/3 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244/1 रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 443/244 रकबा 10.5885 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 445/244 रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 444/244 रकबा 1.3321 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244/4 रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244/5 रकबा 2.3715 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244/6 रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244/7 रकबा 2.3715 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244/8 रकबा 2.3715 हैक्टेयर, खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:15:37 IST
Reason: SelfAttested

03.10.24
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

244/9 रकबा 2.3715 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244/10 रकबा 2.3715 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 244/11 रकबा 0.0486 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित सेग्रीगेशन योजना के तहत की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरुस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का चिमाणा की मौका रिपोर्ट दिनांक 31.01.2024 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम चिमाणा पटवार हल्का चिमाणा तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 244/3 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244/1 रकबा 4.1683 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 443/244 रकबा 10.5885 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 445/244 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 444/244 रकबा 1.3321 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244/4 रकबा 4.8562 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244/5 रकबा 2.3715 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244/6 रकबा 2.3715 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244/7 रकबा 2.3715 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244/8 रकबा 2.3715 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244/9 रकबा 2.3715 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 244/10 रकबा 2.3715 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 244/11 रकबा 0.0486 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 31.01.2024 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार घंटियाली को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07.10.24

R.A.S.)

(फलोदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.11.06 16:15:37 IST
Reason: SelfAttested